[ मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 18 फरवरी 2000 में प्रकाशित ]

## वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 1999

क्र. एफ. 25-63-99-पी. डब्ल्यू. सी. चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**23. निलंबन की कालावधियों की गणना :—**

आचरण से संबंधित जांच के लंबित रहने तक, किसी शासकीय सेवक द्वारा निलंबन के अधीन बिताये गये समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में तब ही की जाएगी जहां ऐसी जांच की समाप्ति पर, उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया गया हो या निलंबन को पूर्णत: अनुचित ठहराया गया हो, अन्य मामलों में निलंबन की कालावधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उस समय अभिव्यक्त रूप से यह घोषित नहीं कर देता कि इसकी गणना उस सीमा तक की जाएगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी घोषित करें."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मिलिंद वाईकर**, उपसचिव.